



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 422 राँची, शुक्रवार,

24 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

7 जुलाई, 2026

संख्या-03/आरोप-11-24/2025 का०-4401--श्री भागीरथ महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-423/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चतरा, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-929, दिनांक 03.04.2025 के माध्यम से उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-448, दिनांक 07.09.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र में श्री महतो के विरुद्ध मौजा-देवरिया में राईस मील निर्माण हेतु भूमि हस्तानांतरण से संबंधित त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने, चतरा अंचल अन्तर्गत विभिन्न कल्याणकारी एवं जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराने, इनकी लापरवाही से सरकारी भवन निर्माण बाधित होने, वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए राजस्व संबंधी निदेशों का पालन नहीं करने, कार्य के प्रति उदासीन रवैया अपनाने एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2022 में निर्वाची पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं करने तथा आचार संहिता का उल्लंघन करने से संबंधित कुल 09 बिन्दुओं पर आरोप गठित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3745, दिनांक 23.06.2025 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री महतो के आवेदन दिनांक 03.11.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री महतो द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि तत्कालीन उपायुक्त एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश के आलोक में विभागीय योजनाओं हेतु भूमि संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। अतिक्रमण/संदेहात्मक जमाबंदी के मामले में समुचित सुनवाई उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की गई है। छोटे/बड़े चंक के गैरमजरूआ भूमि से संबंधित संदेहात्मक जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया है। भू-अर्जन से संबंधित विभागीय कार्य/दायित्व का ससमय निर्वहन किया गया है। वरीय पदाधिकारियों के आदेश का अवहेलना नहीं किया गया है। राजस्व संबंधी निदेशों का अनुपालन किया गया है, सरकारी दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन, अनुशासनहीनता नहीं की गई है एवं किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं बरती गई है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2022 के क्रम में निर्वाची पदाधिकारी के दायित्वों के निर्वहन, आदर्श आचार संहिता का पालन निष्ठापूर्वक किया गया है। किसी भी प्रत्याशी के पक्ष अथवा विपक्ष में मतगणना कार्य नहीं किया गया है। किसी भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी से संबंधित व्यक्ति को मतगणना स्थल तक सरकारी वाहन में नहीं लाया गया है।

श्री महतो के विरुद्ध गठित आरोप, उनके द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों तथा उसके समर्थन में संलग्न साक्ष्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री महतो के विरुद्ध गठित आरोप वरीय पदाधिकारी के निदेश की अवहेलना तथा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में उदासीनता से संबंधित है, जो प्रशासनिक प्रकृति के हैं। इनके विरुद्ध गठित आरोप राजस्व क्षति से संबंधित नहीं है। श्री महतो दिनांक 31.05.2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतः समीक्षोपरांत, श्री भागीरथ महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-423/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चतरा, सम्प्रति-सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री भागीरथ महतो, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
